तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
27/6/22	वकुलाय उप०। पत्रावली वास्ते पेश कार्य रिकार्ड अगली तिथि 5/7/22 को पेश हो	
5/7/22	वकुलाय उप०। राजकीय पोरवार की ओर से तहसीलदार वकुलाय उप०। तहसीलदार मलसीसर के प्रकरण से मलसीसर उपस्थित। तहसीलदार मलसीसर ने प्रकरण से संबंधित राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर शामिल किया। पत्रावली वास्ते बहस अगली तिथि 19/7/22 को पेश हो	
19/7/22	वकुलाय उपस्थित। माही राम, निवास पिता गुट्टू राम, शांति देवी पत्नी महावीर, अजय कुमार, विजय कुमार पिता महावीर प्रसाद ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहित है। अतः उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 297 जो उनकी खातेदारी की भूमि है, मे से होकर दिनांक 22.11.2021 को कायम किया गया रास्ते की चौड़ाई कम करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण ने रास्ते की चौड़ाई 14–15 फीट करने की मौखिक सहमती प्रदान की। सहमती के रूप में माहीराम पुत्र गुट्टूराम ने अपने हस्ताक्षर किये। प्रकरण प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर में पेश की गई अपील के निर्णय दिनांक 07.03.2022 से इस निर्देश के साथ कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित हुआ है। प्रार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 22.11.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया। परन्तु उक्त आदेश को निरस्त करने के संबंध में अपने पक्ष में कोई पुख्ता सबूत, साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह माना जावे कि यदि न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 22.11.2021 निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति कारित होगी। पुख्ता सबूत के अभाव में केवल मात्र जवाब को आधार मानकर यह नहीं माना जा सकता कि केवल मात्र एक खातेदार के हितार्थ सार्वजनिक हितों को नजरअंदाज कर उनके न्यायिक हितो को अनदेखा कर दिया जावे। प्रार्थी की ओर से पुनः अपना सहमती पत्र इस आशय का पेश किया गया कि भूमि ख0न0 274 जो प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि है, में से प्रार्थी को बिना सुने एल(L) शेप में रास्ता	heard. 14 फुट रास्ता किया जावे। Bh

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख हुक्म
	कायम किया गया है। जिसमें प्रार्थी की काश्त की अधिक भूमि रास्ते में चली गई। जो प्रार्थी के न्यायिक हितों के विपरीत है। प्रार्थी 10 फीट चौड़ रास्ता अपने खेत में से सीधा देने को सहमत है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ओमप्रकाश की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं सहमती का अवलोकन किया। खेत खसरा नम्बर 297 के खातेदार काश्तकार द्वारा प्रदत सहमती पर भी गौर किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता सुखाचार की श्रेणी में आता है। जिसे बंद नहीं किया जा सकता। संयुक्त शासन सचिव राजस्व (गुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(3)राज–6/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु मौके पर प्रचलित रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का प्रावधान किया गया है। उसी प्रावधान के तहत उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। इससे एक तथ्य तो स्पष्ट है कि उक्त रास्ता नवीन कायम नहीं किया गया है बल्कि पूर्व में मौजूद रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की चोड़ाई कम कर रास्ता सीधा कायम करने की सहमती दी गई है। भूमि ख0न0 297 के खातेदार काश्तकार द्वारा भी रास्ते की चौड़ाई कम करने का निवेदन किया है। अतः काश्तकारों के न्यायिक हितों के दृष्टिगत उनके द्वारा प्रदत सहमती के अनुसार ग्राम डाबड़ीधीरसिंह के खेत खसरा नम्बर 297 व खसरा नम्बर 274 में दर्ज रास्ते की चौड़ाई कम कर 5 मीटर की जाती है तथा खसरा नम्बर 274 में रास्ते को एल (L) शेप से हटाकर खसरा नम्बर 272 में दर्ज रास्ते तक सीधा कायम किया जाता है। शेष रास्ता यथावत रहेगा। तहसीलदार मलसीसर तदनुसार रास्ते को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।	